प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

21/15. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा बहस अपील अन्तर्गत धरा 75 भू–राजस्व अधिनियम समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि चक नेतेवाला के खसरा नम्बर 63 की 6 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन ईंट भट्टा के रूप में दर्ज थी। जिसे इंतकाल संख्या 46 दिनांक 18.11.1978 द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के सीधे ही सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर दिया गया। गैरमुमकिन भट्टा को सीधे ग्राम पंचायत के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। यह क्षेत्राधिकार से परे जाकर की गयी कार्यवाही है। जिसकी जाँच आवश्यक है। इस सम्बन्ध में न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 1994 पेज 486 प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष ने आगे कथन किए कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अनुसार जिला कलक्टर विशिष्ट प्रयोजन के लिए भूमि को सेटअपार्ट कर सकता है परन्तु गैरमुमकिन भूमि को सेटअपार्ट नहीं किया जा सकता, साथ ही अपीलाधीन इंतकाल में कलक्टर के आदेश की कोई प्रति चस्पा नहीं है न ही किसी आदेश का उल्लेख है। दिनांक 18.11.1978 के आदेश की पालना में अपीलाधीन इंतकाल दर्ज किया गया वह आदेश कहीं उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा जवाब बहस में कथन किए कि अपीलाधीन इंतकाल श्रीमान् सहायक जिलाधीश महोदय के राजस्व अभियान कैंप नेतेवाला में दिनांक 18.11.1978 के आदेश की पालना में दर्ज किया गया है। सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.11.1978 को मजमेआम में ग्राम पंचायत के उपभोग व उपयोग हेतु इस भूमि का आवंटन किया गया। अपीलार्थी के पुत्र बृजमोहन द्वारा उक्त आदेश को श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां अपील संख्या 75/2006 अनवानी बृजमोहन बनाम सरकार

Scanned with CamScanner

प्रकरण सं0 .... अनवाग ....

Continuation Note Sheet

द्वारा चुनौती दी गई। जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 08.03.2007 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील की गई। जिसे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 23.12.2020 को खारिज कर दिया गया। चूंकि राजस्व मण्डल में अपीलांट की अपील खारिज हो चुकी है। इसलिए तथ्यों को छुपाते हुए अपील द्वारा इंतकाल संख्या 46 को चुनौती दी गई। राजस्व कैम्प में सहायक जिलाधीश को कलक्टर की पावर थी। अपीलांट के पुत्र द्वारा आदेश दिनांक 18.11.1978 की अपील की गई। जिससे साबित है कि अपीलांट को शुरूआत से ही इस आदेश का ज्ञान था। अतः अपील देरी से प्रस्तुत की गई है। साथ ही अपीलांट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिना इसके तथा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी है जो किसी भी तरीके से चलने के काबिल नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। नामान्तरण पंजीका गांव 2 एचएचआई नेतेवाला के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत आराजी गैरमुमकिन भट्टा भूमि के रूप में दर्ज थी। जिसे ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया गया। इंतकाल के कॉलम संख्या 14 में "हुकमन" अंकित है। जिसके विशेष विवरण में "सहायक जिलाधीश महोद्य राजस्व अभियान कैम्प नेतेवाला के क्रमांक 18.11.1978 के अनुसार इंतकाल दर्ज कर वास्ते मंजूरी पेश है" अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 08.03.2007 की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि बृजमोहन पुत्र गिरधारी लाल द्वारा अपील पेश की गई। जिसे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा खारिज कर दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.12.2020 की प्रति के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट बृजमोहन द्वारा राजस्व

Scanned with CamScanner

प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 08.03.2007 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा खारिज कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत भूमि के निलामी सम्बन्धी दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि बृजमोहन द्वारा उक्त भूमि की निलामी को ठेके पर छुडवाया गया। अपील के साथ धारा 96 का प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं है।

उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह प्रकट होता है कि अपीलधीन इंतकाल संख्या 46 सहायक जिलाधीश के आदेश दिनांक 18.11.1978 की पालना में दर्ज किया गया। अपीलांट के पुत्र द्वारा सहायक जिलाधीश के आदेश को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में चुनौति दी गई। जहां अपीलांट की अपील खारिज हो चुकी है। अपीलांट द्वारा तथ्य को छुपाकर वर्तमान अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 46 दिनांक 18.11.1978 प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 96 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट एवं स्थगन आदेश दिनांक 02.02.2021 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुना गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner